

झारखण्ड सरकार  
परिवहन आयुक्त कार्यालय  
एफ. एफ. पी. भवन, धुर्वा, राँची।

पत्रांक: परि०आ०-33/2017-.....87...../राँची,

दिनांक:-...29-01-2021



प्रेषित,

श्री पोखन नारायाण कुशवाहा,  
पिता-श्री फुलो महतो,  
तिलैया, महेशरा,  
जिला-हजारीबाग।

विषय: वाहन संख्या- JH02AN-9662 के पक्ष में मार्ग टाटा से भागलपुर के लिए निर्गत स्थायी परमिट संख्या- P.St.S.- 12/2017 के प्रत्यार्पण के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके ऑन-लाईन आवेदन दिनांक 13.11.2020 के आलोक में आपके वाहन संख्या- JH02AN-9662 के पक्ष में मार्ग टाटा से भागलपुर पर इस प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थायी परमिट संख्या-P.St.S.- 12/2017 का दिनांक-13.11.2020 के प्रभाव से प्रत्यार्पण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

परिवहन आयुक्त के आदेश से।

विश्वासभाजन  
  
संयुक्त परिवहन आयुक्त,  
झारखण्ड, राँची।  


झारखण्ड सरकार  
परिवहन आयुक्त कार्यालय  
एफ. एफ. पी. भवन, धुर्वा, राँची।

पत्रांक: परि०आ०-33/2017-.....87...../राँची,

दिनांक:-...29.01.2021

प्रेषित,

श्री पोखन नारायाण कुशवाहा,  
पिता-श्री फुलो महतो,  
तिलैया, महेशरा,  
जिला-हजारीबाग।

विषय: वाहन संख्या- JH02AN-9662 के पक्ष में मार्ग टाटा से भागलपुर के लिए निर्गत स्थायी परमिट संख्या- P.St.S.- 12/2017 के प्रत्यार्पण के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके ऑन-लाईन आवेदन दिनांक 13.11.2020 के आलोक में आपके वाहन संख्या- JH02AN-9662 के पक्ष में मार्ग टाटा से भागलपुर पर इस प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थायी परमिट संख्या-P.St.S.- 12/2017 का दिनांक-13.11.2020 के प्रभाव से प्रत्यार्पण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

परिवहन आयुक्त के आदेश से।

विश्वासभाजन

संयुक्त परिवहन आयुक्त,  
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- परि०आ०-33/2017-.....87...../ राँची,

दिनांक:-...29.01.2021

प्रतिलिपि:- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त परिवहन आयुक्त,  
झारखण्ड, राँची।